न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील / 96 / 2018

भरतसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट, निवासी ग्रांम करही, तहसील नदबई

.....अपीलान्ट

बनाम

राज.सरकार जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

प्रार्थना पत्र रिव्यू विरूद्व आदेश दिनांक 24.07.2018

व मुकदमा भरतसिंह बनाम सरकार न0 61 / 2016

———

उपस्थित :–

श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट

आदेश **दिनांक 12.08.2018**

अपील आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 49 / 01 के आदेश दिनांक 24.07.2018 के रिव्यू करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने दिनांक 24.07.2018 को पारित आदेशानुसार पुनः पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब करने एवं नये नियमों के तहत कार्यवाही करना कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं पूर्व से ही प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नये नियमों 2016 के तहत कार्यवाही करने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अपनी प्रार्थना में निवेदन किया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नये नियमों के तहत रिपोर्ट तलब किये बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र रिव्यू दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट को तलब किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट को सुना गया।

योग्य अभिभाषक ने कथन किया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2018 वमुकदमा भरतसिंह बनाम सरकार न0 61 / 2016 के द्वारा अपीलान्ट का आर्म्स लाइसेन्स इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलान्ट

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जबकि प्रार्थी का कथन है कि वह आपराधिक प्रकरणों में से अधिकतर में प्रार्थी को बरी किया जा चुका है, नकल की प्रतियां संलग्न की है। प्रार्थी को किसी आपराधिक प्रकरण में किसी भी आपराधिक प्रकरण में बन्दूक के दुरूपयोग का कोई आरोप सिद्व नहीं हुआ है। योग्य अभिभाषक द्वारा अपने कथन में यहीं दर्शाया है कि अपील को आशिंक रूप से स्वीकार कर पुनः रिपोर्ट तलब किया जाना उचित नहीं है जबकि पत्रावली पर सभी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के निर्णयों की प्रतियों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के विरूद्व विचाराधीन प्रकरणों में चार्जसीट न0 239 दिनांक 24.08.2005 का निर्णय दिनांक 06.02.2014 को तथा चार्जसीट न0 339 दिनांक 06.12.2011 का निर्णय दिनांक 13.09.2018 को हो चुका है। प्रार्थी को उक्त दोनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। प्रार्थी भरतसिंह के विरूद्व अन्य दो प्रकरणों में भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज हथियार से कोई अपराध कारित करने या दुरूपयोग करने सबंधी कोई आरोप नही है। कानून में स्थिति स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के विरूद्व प्रकरण दर्ज होने मात्र से किसी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त नही किया जा सकता है। पत्रावली में भी समस्त रिपोर्ट उपलब्ध है जिनके आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने के लिए पर्याप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू काबिल स्वीकार योग्य है।

अत आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थी भरतसिंह का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 49/2001 का नवीनीकरण करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर